



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 659038

प्ररूप-26

सहायक कोषाधिकारी रोकड़  
कोषागार, देहरादून  
- 5 JAN 2012  
निर्गत किया  
कोड सं. 001

23 - डेहरादून

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा उत्तराखण्ड राज्य

(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन

के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं जसवंत सिंह रंधावा पुत्र/पुत्री/पत्नी गुरुभजन सिंह रंधावा

आयु 51 वर्ष, जो म.नं. 59 आब्ला रोडी कलमेट राउत देहरादून

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी) ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

Ami





- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला या जिले लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / है लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान देहरादून

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख 12/01/2012

## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्किक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 12/01/2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

IDENTIFIED BY

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।

This affidavit is sworn before me by  
Mr. Jaswant Singh Randhawa  
who is identified by Shri. A. K. Taneja  
at Dehradun on 12/01/12 ADVOCATE

Reg. No. 81/12  
**RAM KRISHAN JOSHI**  
Advocate & NOTARY  
Dehradun, Uttarakhand (INDIA)

